बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना – 800015.

फोन नं0 :– 0612–2217352
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :–ceo_bihar@eci.gov.in

प्रेस विज्ञप्ति

भारत निर्वाचन आयोग के निदेश के आलोक में दिनांक 29.10.2024 को बिहार राज्य की निर्वाचक सूची का प्रारुप प्रकाशन कुल 243 में 239 विधानसभा क्षेत्रों (196–तरारी, 203–रामगढ़, 227–इमामगंज (अ०जा०) एवं 232–बेलागंज को छोड़कर) के लिए कर दिया गया है। निर्वाचक सूची के प्रारुप प्रकाशन में राज्य भर में निर्वाचकों की कुल संख्या–7,72,28,642 हैं। इनमें पुरूष निर्वाचक–4,04,38,072 तथा महिला निर्वाचक 36788399 हैं। इसके अतिरिक्त 2,171 तृतीय लिंग के निर्वाचक हैं। निर्वाचक सूची में महिला–पुरूष का लिंगानुपात 910 है। 18–19 आयुवर्ग के निर्वाचकों की संख्या–5,32,047 है। निर्वाचक सूची के प्रारूप प्रकाशन से संबंधित अन्य संख्यात्मक विवरणी निम्नवत् हैः–

क्र० सं०	विषय	अर्हता तिथि 01.01.2024 के आधार पर दिनांक 22.01. 2024 को निर्वाचक सूची के अंतिम प्रकाशन की सांख्यिकी	अर्हता तिथि 01.01.2025 के आधार पर दिनांक 29.10.2024 को निर्वाचक सूची के प्रारूप प्रकाशन की सांख्यिकी	कुल अंतर
1.	निर्वाचक की कुल संख्या	7,64,33,329	7,72,28,642	7,95,313
2.	पुरूष निर्वाचक की कुल संख्या	4,00,29,136	4,04,38,072	4,08,936
3.	महिला निर्वाचक की कुल संख्या	3,64,01,903	3,67,88,399	3,86,496
4.	तृतीय लिंग निर्वाचक की कुल संख्या	2,290	2,171	–119
5.	निर्वाचक सूची का लिंगानुपात	909	910	1
6.	निर्वाचक सूची का EP Ratio	0.596	0.594	–0.002
7.	सेवा निर्वाचकों की संख्या	1,67,469	1,66,071	–1398

उल्लेखनीय है कि निर्वाचक सूची के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् प्रारूप प्रकाशन तक कुल नवपंजीकृत निर्वाचकों की संख्या–13,80,617 है तथा कुल विलोपित निर्वाचकों की संख्या–5,85,304 है। भारत निर्वाचन आयोग के निदेश के आलोक में House to House Survey (गृहवार सत्यापन) के दौरान निर्वाचक सूची के शुद्धिकरण हेतु Dead (मृत), Shifted (स्थानांतरित) तथा दोहरी प्रविष्टियों (Duplicate) के मामलों को चिन्हित् किया गया एवं उपयुक्त पाये गये मामलों को जांचोपरांत नियमानुसार विलोपित कर दिया गया है।

- विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण–2025 में सक्रिय सहभागिता हेतु दिनांक 02.11.2024, 03.11.2024 एवं दिनांक 23.11.2024 तथा 24.11.2024 को विशेष अभियान दिवस का आयोजन भी राज्य के कुल 243 में 239 विधानसभा क्षेत्रों (196–तरारी, 203–रामगढ़, 227–इमामगंज (अ०जा०) 232–बेलागंज को छोड़कर) के सभी मतदान केन्द्रों में किया जायेगा।

- निर्वाचक सूची में पंजीकरण के लिए अर्हता तिथि 01 जनवरी के अतिरिक्त 01 अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्टूबर होंगी। इस तरह से अब एक अर्हता तिथि न होकर कैलेंडर वर्ष में चार अर्हता तिथियाँ होंगी।

निर्वाचक सूची में आवेदन हेतु ऑनलाइन एवं ऑफलाइन विकल्प दोनों उपलब्ध हैं। ऑनलाइन यह सुविधा वोटर हेल्पलाइन ऐप अथवा voters.eci.gov.in में लॉगइन कर प्राप्त की जा सकती है। ऑफलाइन रूप में आवेदन करने हेतु अपने प्रखंड, अनुमंडल अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है अथवा अन्य वांछित जानकारी प्राप्त करने हेतु मतदाता हेल्पलाइन 1950 अथवा टॉल फ्री नम्बर 1800-345-1950 का प्रयोग भी किया जा सकता है।

****